

एसईसी-1/187(2)/2023/1524

दिनांक: 16 दिसंबर 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai-400 051</u>	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai - 400 001</u>
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

**विषय:** आईईपीएफ प्राधिकरण को दावा न किए गए लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना के संबंध में समाचार पत्र की क्लिपिंग्स प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुसार, कृपया निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को दावा न किए गए लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना के संबंध में समाचार पत्र की क्लिपिंग्स संलग्न हैं तथा ये क्लिपिंग्स 16 दिसंबर 2023 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी) और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (हिंदी) संस्करण में भी प्रकाशित की गई हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।


भवदीय,  
  
(जे. एस. अमिताभ)  
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न: जैसा कि ऊपर बताया गया है

**क्षेत्रीय कार्यालय :** बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

**राज्य कार्यालय :** वडोदरा, वाराणसी

**प्रशिक्षण केंद्र :** आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद



**आरईसी लिमिटेड | REC Limited**  
(भारत सरकार का महात्वात्मक उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)  
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003  
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram-122001 (Haryana)  
Tel.: +91-124-4441300 | Website: www.recindia.nic.in  
CIN: L40101DL1969GOI005095 | GST: 06AACR4512R3Z3

**NOTICE FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDENDS / EQUITY SHARES TO IEPF AUTHORITY**

**Attention : Shareholders of REC Limited**

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules) and amendments made thereto, the dividends which remained unclaimed for seven years will be credited to the IEPF and thereafter corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF.

Accordingly, individual communications have been sent by the Company at the latest available addresses of the concerned shareholders, requesting them to claim dividend amounts which have remained unpaid/unclaimed consecutively for a period of seven years, as per the details mentioned below:-

Particulars	Date of declaration	Last date for claiming dividend	Timeline for transfer of unclaimed dividend amount and shares to IEPF Authority
Interim dividend 2016-17	February 14, 2017	March 14, 2024	On or before April 14, 2024
Final dividend 2016-17	September 21, 2017	October 23, 2024	On or before November 23, 2024

The details of such shareholders are also available on the website of the Company at <https://recindia.nic.in/iepf-details>. In view of the same, such shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividends amounts and accordingly forward the requisite documents to Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company viz. Alankit Assignments Limited (Unit: REC Limited), 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055, E-mail : [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com), Contact: 011-42541234 | 011-42541954 OR Contact the company at Tel. No.: 0124-2715476, E-mail ID : [complianceofficer@reci.in](mailto:complianceofficer@reci.in), to claim the unclaimed dividend amount(s).

In case, requisite documents from the concerned shareholders are not received on or before March 14, 2024 (in case of Interim Dividend 2016-17) and October 23, 2024 (in case of Final Dividend 2016-17), the equity shares along with the unpaid dividend amounts, having completed seven years, shall be transferred to IEPF Authority, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity share(s) transferred to IEPF pursuant to the said Rules. However, the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all benefit(s) accruing on such shares, if any, can be claimed back after following the procedure prescribed in the IEPF Rules. As per SEBI Circular dated September 26, 2023, the shareholders holding shares in physical form are advised to update the documents in the prescribed forms (available on website of the Company at <https://recindia.nic.in/forms>) on or before December 31, 2023.

For REC Limited  
Sd/-  
(J. S. Amitabh)  
Executive Director & Company Secretary

Date : Gurugram  
Place : December 16, 2023

**Energizing and empowering India since 1969**



**आरईसी  
REC**

Endless energy. Infinite possibilities.

**आरईसी लिमिटेड | REC Limited**  
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)  
पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
कॉरपोरेट कार्यालय: आरईसी विश्व मुख्यालय, प्लॉट नं. आई-4  
इफको वीक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम - 122001 (हरियाणा)  
फोन: +91-124-4441300 | वेबसाइट: [www.recindia.nic.in](http://www.recindia.nic.in)  
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R3Z3

**आईईपीएफ प्राधिकरण को अप्रदत्त लाभांश /  
इक्विटी शेयरों के अंतरण की सूचना**

**ध्यान दें : आरईसी लिमिटेड के शेयरधारक**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(6) के प्रावधानों तथा विनिर्धानकर्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं प्रतिदेय) नियमावली, 2016 (नियमों) के साथ पठित और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार, पिछले सात वर्षों से अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ में जमा किया जाएगा, इसके पश्चात संबंधित शेयर, जिन पर लाभांश लगातार सात वर्षों से अदावाकृत थे, उसे भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों के वर्तमान मौजूद पत्तों पर कंपनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे गए हैं, जिसमें उनसे लाभांश राशि का दावा करने का अनुरोध किया गया है, जो नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त और अदावाकृत हैं:-

विवरण	घोषणा करने की तिथि	लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि	आईईपीएफ प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के अंतरण की समय-सीमा
अंतरिम लाभांश 2016-17	14 फरवरी, 2017	14 मार्च, 2024	14 अप्रैल, 2024 तक या उससे पहले
अंतिम लाभांश 2016-17	21 सितंबर, 2017	23 अक्टूबर, 2024	23 नवंबर 2024 तक या उससे पहले

ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/iepf-details>, पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश राशियों के लिए दावा करें और तदनुसार अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट(आर एंड टीए) अर्थात् अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिट: आरईसी लिमिटेड), 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, ईमेल: [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com), संपर्क: 011-42541234 / 011-42541954 को प्रेषित करें अथवा कंपनी से दूरभाष: 01242715476, ई-मेल आईडी : [complianceofficer@recl.in](mailto:complianceofficer@recl.in) पर संपर्क करें।

यदि संबंधित शेयरधारकों से अपेक्षित दस्तावेज 14 मार्च, 2024 (2016-17 के अंतरिम लाभांश के मामले में) और 23 अक्टूबर, 2024 (2016-17 के अंतिम लाभांश के मामले में) को या उससे पहले प्राप्त नहीं होते हैं, तो सात वर्ष पूरे होने पर अप्रदत्त लाभांश राशियों के साथ इक्विटी शेयर बिना कोई सूचना दिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित, अदावाकृत लाभांश राशियों और इक्विटी शेयर (शेयरों) के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। तथापि, यदि अदावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसमें ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों, शामिल हैं, तो इनको आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वापस दावा किया जा सकता है।

सेबी परिपत्र दिनांक 26 सितंबर, 2023 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित फॉर्म (कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/forms> पर उपलब्ध) में 31 दिसंबर, 2023 तक या उससे पहले दस्तावेजों को अद्यतन करें।

**कृते आरईसी लिमिटेड**  
**हस्ता/-**  
**स्थान: गुरुग्राम** (जे.एस. अमिताभ)  
**दिनांक: 16 दिसंबर 2023** कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव  
**1969 से भारत को ऊर्जावित और सशक्त करते हुए**